

प्रश्न सं. [क. 386]

विधान सभा

मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 1159 /2684201/2025/12/1

भोपाल, दिनांक 10/03/2025

प्रति,

उप सचिव
म0प्र0 शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय भोपाल (म0प्र0)

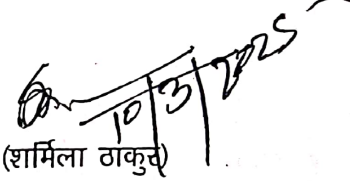
विषय:- विधानसभा बजट सत्र 2025 का इन्डारेक्ट तारांकित प्रश्न क्रमांक 386 द्वारा
माननीय विधायक श्री कुंवर अभिजीत शाह ।

संदर्भ:- आपका तारांकित प्रश्न क्रमांक 386 ।

--0--

उपरोक्त विषयक विधानसभा बजट सत्र 2025 का तारांकित प्रश्न क्रमांक 386 माननीय विधायक श्री कुंवर अभिजीत शाह, के संबंध में विभागीय जानकारी आवश्यक कार्यवाही संलग्न प्रेषित है।

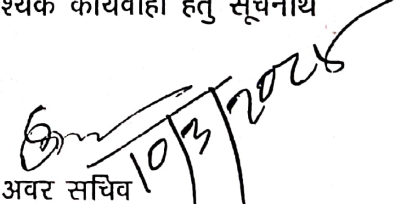
संलग्न:-उपरोक्तानुसार:-


(शर्मिला ठाकुर)
अवर सचिव

म0प्र0शासन,खनिज साधन विभाग
भोपाल, दिनांक 10/03/2025

पृ0क्रमांक- 1160/2684201/2025/12/1

प्रतिलिपि:- संचालक, प्रशासन तथा खनिकर्म भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ
प्रेषित।


अवर सचिव

म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग


(अमिताभ सिंह)
अति. संचालक
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी-परिषद्

विधानसभा (इनडायरेक्ट) तारांकित प्रश्न क्रमांक - 386
द्वारा माननीय विधायक - कुंवर अभिजीत शाह

उत्तर

क्र	प्रश्न	उत्तर
(क)	ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को उनके खेतों तक आने जाने के लिए बनाई जाने वाली सड़क हेतु तैयार की गई सदूर सड़क योजना कब प्रारंभ की गई थी इस योजना का क्या-क्या उद्देश्य रहा है।	विभाग से संबंधित नहीं।
(ख)	योजना को किन कारणों से कब-कब बन्द किया गया, योजना के तहत प्रश्नकर्ता विधानसभा क्षेत्र के किस ग्राम से कितनी सदूर सड़क का निर्माण प्रश्नांकित दिनांक तक कितनी लागत में किया गया है।	विभाग से संबंधित नहीं।
(ग)	यदि सदूर सड़क योजना बन्द कर दी है तो उसका कारण बतावें ? यह योजना कब तक प्रारम्भ की जावेगी ? समय-सीमा बतावें। यदि योजना प्रारम्भ नहीं की जावेगी तो उसका भी कारण बतावें ?	विभाग से संबंधित नहीं।
(घ)	संपूर्ण मध्यप्रदेश के किसानों के हितों को देखते हुए किसान और प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही को बजरी निकालने एवं डालने की अनुमति ग्राम पंचायत स्तर पर दी जावे एवं बजरी को किसानों एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही के लिए रॉयल्टी को निःशुल्क किया जावे ताकि किसान अपने खेत में आने-जाने के लिए सड़क एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को लाभ मिल सके।	प्रश्नांश, अनुसार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के किसानों के हितों को देखते हुए किसान और प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही को बजरी निकालने एवं डालने की अनुमति ग्राम पंचायत स्तर पर दिये जाने के संबंध में म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 तथा मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम 2019 में प्रावधान नहीं है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(अमित कुमार सिंह)
 अति. संचालक
 म.प्र. राज्य सड़क गारंटी-परिषद

(फ्रैंक नोबल ए.)
 संचालक

(प्रशासन और खनिकर्म)